लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 458

जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को दिया जाएगा

उपभोक्ताओं के अधिकार

458. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित होना और अपने दैनिक जीवन में उन्हें व्यवहार में लाना महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नागरिकों को शामिल करने और उन्हें उपभोक्ता अधिकारों और उन अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूक बनाने के लिए की गई/की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग): उपभोक्ता मामले विभाग इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया के माध्यम से "जागो ग्राहक जागो" अभियान के तत्वावधान में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए "उपभोक्ता जागरूकता" नामक एक विशेष स्कीम को लागू कर रहा है। विभाग ने 2022-23 में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, "जागृति" नामक शुभंकर लॉन्च किया है। विभाग प्रमुख मेलों/त्योहारों/कार्यक्रमों में भाग लेता है जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो सकते हैं। विभाग स्थानीय स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान भी प्रदान करता है।

***